तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email-rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ संo / Ref. No. : 448/F-24/OA No-456/2023/2024

दिनांक / Dated : 30.7.2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: **Response on behalf of the Respondent No-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 25.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 456 of 2023 In the matter of Ram Rang Shukla Versus State of U.P. & Others.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 25.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 456 of 2023 in the matter of Ram Rang Shukla Versus State of U.P. & Others. Please find attached herewith the response on behalf of Respondent No-3 Uttar Pradesh Pollution Control Board for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

30/07/2024

(Dr. T.N. Singh)
Regional Officer

Enclosures: As above

BEFORE
THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO- 456 / 2023

IN THE MATTER OF:

Ram Rang Shukla ... Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. ... Respondent

Order Date- 25.04.2024
Next Listing- 07.08.2024

Response on behalf of the Respondent No-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 25.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 456 of 2023 In the matter of Ram Rang Shukla Versus State of U.P. & Others.

That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 25.04.2024 in Original Application No. 456 of 2023 in the matter of Ram Rang Shukla Versus State of U.P. & Others has passed the orders. The relevant excerpt of the said order is as below:-

"........ 8. In view of the above respondent no. 1-State of Uttar Pradesh and respondent no. 3-UPPCB are directed to file

their responses regarding requirement of compliance with siting criteria under the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 by the brick kilns established before enactment and commencement of the above said Rules……."

Response

1. That Paryavaran Anubhag, Uttar Pradesh Shasan vide notification no- 921/55-Parya/12-94 (Parya)/11 Lucknow, dated 27.06.2012 had notified The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012 (hereinafter referred as Rules, 2012). The copy of the notification dated 27.06.2012 is being attached as **Annexure No.-1** to this response.
2. That in the relevant excerpt of the above Rules, 2012 is as follows:

   .....In exercise of the powers under sub section (1) of section 54 read with clause (z) of sub section (2) of the said section and sub section (1) of section 21 of the Air (Prevention And Control) of Pollution) Act, 1981 (Act no.14 of 1981) the Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution Control Board and after considering the objections and suggestions received from concerned person, is pleased to make the following rules with a view to regulating the siting criteria for the establishment of new brick kilns in the State of Uttar Pradesh....

3. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its judgment/order dated 07.05.2015 in Appeal No. 74 of 2014 in the matter of M/s Jai Hanuman Ent Udyog versus UP Pollution Control Board & Others has passed the following order. The relevant excerpt is as below:-

"........ 6. Once it is undisputable on record that the unit of the appellant came into existence and started operating in the year 2010, without obtaining consent of the UPPCB in terms of the Air Act, then the consequences of it being an illegal unit and carrying out an unlawful activity would necessarily follow. A unit, which is established contrary to law and which pollutes the environment, cannot claim any advantage at a subsequent stage on the strength of the NOC from the Zila Parishad, which had no jurisdiction to deal with any of the matters, particularly of environment, as contemplated under the provisions of the Air Act. It is not a case of lack of jurisdiction but that of no jurisdiction of the Zila Parishad. It was mandatory for the appellant to establish its units only upon grant of Consent to Establish and the Consent to Operate from the UPPCB. Having failed to comply with its statutory obligation, the appellant is estopped from claiming the benefit of law under the Rules in force in 2010, as opposed to the applicability of Rules of 2012.

7. Even otherwise, the environmental laws including the provisions of the Air Act and the Rules of 2012 are social beneficial legislation, intended to provide and serve greater cause of public health and environment. The purpose is to ensure that because of the emission from the brick kiln, the people residing in vicinity do not suffer on account of air pollution resulting from such activity. The purpose of providing a mandatory statutory distance of the brick kiln from the residential areas is to ensure that the people carrying on activity, particularly like schools and residential areas, are not adversely affected by carrying on of such activity. The fact that the unit of the appellant had so far been operating without obtaining consent of the UPPCB and in violation of the prescribed standards, would not vest in him a right to continue with such unlawful activity. Admittedly, the unit applied for obtaining consent of the UPPCB for the first time in the year 2013, thus, that will be the point of time to determine the application of the laws. This Tribunal had the occasion to deliberate upon and decide a somewhat similar plea in the case of Himmat Singh Shekhawat v. State of Rajasthan and

Ors., 2015 All (I) NGT Reporter (1) (Delhi) 44. The plea raised therein was that since the Project Proponents had been carrying on the mining activity for a considerable time, therefore, the preventive and precautionary steps directed to be taken under subsequent laws were not applicable upon them, including the judgment of the Supreme Court prohibiting mining activity in an area of less than five hectares without prior Environmental Clearances. The Tribunal took the view that such activities and restrictions, imposed in the interest of the environment, are not stricto sensu retrospective but are retroactive, as they do not take away the vested rights but only permit continuation thereof, subject to further restrictions. The Tribunal held as under under:

"75. The environmental laws are laws enacted for the benefit of public at large. They are socio-beneficial legislation enacted to protect the environment for the benefit of the public at large. It is in discharge of their Constitutional obligation that such laws have been enacted by the Parliament or by other authorities in furtherance to the power of delegated legislation vested in them. These legislations and directives are incapable of being compared to the legislations in the field of 82 taxation or criminal jurisprudence. These laws have been enacted to protect the Fundamental Rights of the citizens. Thus, the contention that the existing mine holders would not be required to comply with the requirements of environmental laws, cannot be accepted. To illustratively examine this aspect, we may take a hypothetical situation, not far from reality. An industrial unit which had been established and operationalized prior to 1974, 1981 and/or 1986, was granted permission under the laws in force and the unit owner had made heavy investments in making the unit operational. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act came into force in 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act in 1981 and Environment (Protection) Act in 1986. All these Acts deal with existing units as well as the units which are to be established in future. These laws granted time to the existing units to take all anti-pollution measures and obtain the consent of the respective Pollution Control Boards to continue its operations. Failure to do so, could invite penal action including, closure of industry under these Acts. The said Unit should not be permitted to contend that since it was an existing unit, it has earned a right to pollute the environment and cause environmental pollution, putting the life of the others at risk, on the ground that it was an existing unit and was operating in accordance with law. Such a contention, if raised, would have to be noticed only to be rejected. Similarly, these Notifications or Office Memorandums, having been issued under the environmental laws, would equally apply to the existing industries as well. The directions contained in these 83

Notifications and Office Memorandums which are otherwise valid, would equally operate to the existing mines as well as the newly undertaken mining activities. All that the law would require, is to give them some reasonable time to comply with the requirements of law, wherever a specific time is not provided under the Act or the Notification. Obviously, these laws stricto sensu are not retrospective, as they do not abolish or impair any vested rights under the existing laws. However, these laws impose a new obligation without taking away the vested right. In that sense and somewhat loosely, it can be interpreted as being retroactive in nature, as they do not take away the right of the person to carry on business or his industrial unit, but only impose a new obligation to take Environmental Clearance under the environmental laws. The activity is not prohibited, but, compliance to the environmental laws is made mandatory. Examined from that angle, in so far as we have held, the Notification dated 1st December, 2009, Office Memorandums dated 18th May, 2012, 24th June, 2013 and 24th December, 2013, except to the extent they have been quashed as above by us, are valid and would be enforceable against even the existing mining lease holders. They cannot be permitted to destroy the environment and ecology for their personal gains on the strength of the contention that they are existing units and these Notifications, Office Memorandums would not apply to them. State of Karnataka has already given a one year time to the existing mine lease holders to comply with the requirements of obtaining Environmental Clearance. Similarly, the State of Rajasthan 84 and Himachal Pradesh should also direct the existing mine lease holders to take Environmental Clearance, irrespective of their area of mining. The Hon'ble Supreme Court in the case of Deepak Kumar (supra) has clearly directed that the miners possessed of mining area of less than 5 hectares cannot operate without taking Environmental Clearance. This would unexceptionally apply to the new units, but, in our considered view, would also apply to the existing mine lease holders as well; except that they would have to be given time to comply with the requirements of law."

8. In view of the above stated principles, we are of the considered opinion that the appellant has no case for validly challenging the order dated 13th August, 2014. The appellant cannot take advantage of his own wrong conduct, which is in violation to the laws in force at the relevant time. We are in complete agreement, though, for different reasons, which we have afore-recorded, with the conclusion arrived at by the Appellate Authority in the impugned order dated 13th August, 2014……"

4. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in above judgment held that the brick kiln which did not have a valid consent to Establishment/ Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board prior to enactment of Rules, 2012, need to fulfill the siting criteria enumerated in Rules, 2012.
5. That in compliance to the order dated 02.08.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 456/2023, a Joint Committee Report has been submitted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter no. H02434/C-6/Gen-790/OA No.456/23/2023 dated-30.10.2023 before Hon'ble Tribunal, New Delhi. The relevant excerpt of the said report is as follows:

   "....(i) The questioned unit M/s C.H. Ent Bhatta, Behind Indian Oil Petrol Pump, Bandhwa Chauraha, Wazirganj, District-Gonda, Uttar Pradesh has obtained Consent To Establish (CTE) Vide Ref. No. 3062/NOC/2011 dated-23.03.2011 To establish the Ent Bhatta on Arazi No.-821, Vill-Bandhwa, Wazirganj, Gonda as per Zila Panchayat Guidelines before implementation of The Uttar Pradesh Brick Kilns

(Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012 notified by Govt. of U.P. vide Ref. No.921/55-Parya / 12-94 (Parya) 2012, dated- June27, 2012...."

6. That in compliance to the Hon'ble Tribunal order dated 25.04.2024, the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ayodhya vide report dated 12.07.2024 has informed the site of the brick kilns in question i.e. M/s C.H. Ent Bhatta, Vill-Bandhwa, Wazeerganj, Tehsil- Tarabganj, District-Gonda is not meeting the siting criteria framed under the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012. A copy of the said report dated 12.07.2024 is being attached as **Annexure No.-2** to this response.

Therefore, the above response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before the Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration please.

Place: Lucknow

Dated:

30/07/2024

(Dr TN Singh)
Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Ayodhya

ANNEXURE-1

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्याः 921 /55–पर्या/12–94(पर्या)/11
लखनऊ, दिनांक 27 अप्रैल, 2012
जून

अधिसूचना

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईंट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आवासीय क्षेत्र/जनसंख्या/संवेदनशील क्षेत्र/आम अथवा फलदार बागों से दूरी

2. उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है :–

(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नही किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगां, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

(दो) कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया

जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यो, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जेड.) क्षेत्र के मामले में समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे–

(तीन) कोई ईंट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईंट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पॉच) कोई ईंट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के 'बफर जोन' में कोई ईट भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईंट भट्ठा से दूरियाँ प्रत्येक दिशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के बृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति

3. ईट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्सर्जन मानक

4. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा ईंट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊचांई सम्मिलित है, ईट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस आर 543(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

ईट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियॉ

5. इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्ठे में ईधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:—

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डंण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे—पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईंटों की पथाई में फ्लाई एश :

परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्वेन्ट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा का ईट भट्ठा में ईधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ईट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्तव्य

6. (1) ईट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है।

(2) तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार

तड़ित अवरोधक ईंट भट्ठा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईंट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख–रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईंटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईंट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईंटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खडी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि–भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईंट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7. कोई व्यक्ति जो कि ईंट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईंट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड का अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि, कोई ईंट भट्ठा जो पूर्व से स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यावरण अनुभाग
संख्या–921 / 55–पर्या / 12–94(पर्या) / 11
लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2012

दिनांक 27 जून, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सदस्य–सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे आगामी गजट अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वेब मास्टर / वेब अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमिताभ त्रिपाठी)
उप सचिव

Annexure-2

विषय– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 450/2023 राम रंग शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 450/ 2023 राम रंग शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है–

"..... 8. In view of the above respondent no. 1-State of Uttar Pradesh and respondent no. 3-UPPCB are directed to file their responses regarding requirement of compliance with siting criteria under the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 by the brick kilns established before enactment and commencement of the above said Rules.

9. UPPCB is also directed to specifically mention in its response as to whether respondent no. 4- brick kiln meets the siting criteria framed under the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012.

10. Responses by respondent no. 1-State of Uttar Pradesh and respondent no. 3-UPPCB be filed within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

11. List for further consideration on 07.08.2024.

12. In view of the observations made in the additional status report regarding compliance by respondent no.4- brick kiln, respondent no. 4 brick kiln is allowed to operate till the date of hearing fixed subject to further orders to be passed by this Tribunal in this regard......."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठा मेसर्स सी0एच0 ईट भट्ठा, ग्राम– बंधवा, वजीरगंज, तहसील– तरबगंज, जनपद– गोण्डा का निरीक्षण दिनांक 26.08.2023 को किया गया था। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या– 3(i) में यह उल्लिखित है कि **"The questioned unit M/s C.H. Ent Bhatta, Behind Indian Oil Petrol Pump, Bandhwa Chauraha, Wazirganj, District- Gonda, Uttar Pradesh has obtained Consent To Establish (CTE) Vide Ref. No. 3062/NOC/2011 Dated- 23.03.2011 To establish the Ent Bhatta on Arazi No. – 821, Vill- Bandhwa, Wazirganj, Gonda as per Zila Panchayat Guidelines before implementation of The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012 Notified by Govt. of U.P. vide Ref. No. 921/55-Parya/12-94(Parya)/2012, dated- June 27, 2012."**

कार्यालय अभिलेखानसुार उक्त ईट भट्ठा वर्ष, 2011 से मेसर्स सी0एच0 ईट भट्ठा उद्योग के नाम से ग्राम– बन्धवा, वजीरगंज, तहसील– तरबगंज, जनपद– गोण्डा के गाटा संख्या– 821 पर स्थापित/संचालित है। ईट भट्ठे में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू व पानी का प्रयोग कर 20000 ईट /दिन की दर से उत्पादन किया जाता है। ईट भट्ठे में ईधन के रूप में 3 टन/दिन की दर से कोयले का प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु ईट भट्ठे के मध्य लगभग 30 मीटर ऊंची पक्की चिमनी स्थापित है।

कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्र संख्या– 3062/एन0ओ0सी0/2011 दिनांक 23.03.2011 द्वारा स्थापनार्थ सहमति(अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गत है। ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र संख्या– 204789/UPPCB/Faizabad(UPPCBRO)CTO/both/ GONDA/2024 दिनांक 23.03.2024 द्वारा संचालनार्थ सहमति निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2026 तक है।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.04.2024 के बिन्दु संख्या– 08 के सम्बन्ध में पर्यावरण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अधिसूचना संख्या– 921/55–पर्या/12–94(पर्या)–11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार उक्त ईट भट्ठा स्थल के अद्यतन स्थिति का सारणीवार विवरण निम्नवत् है–

बिन्दु संख्या	उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012	ईट भट्ठा स्थल की अद्यतन स्थिति
2(एक)	कोई ईट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त विर्वन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों	ईट भट्ठे के उत्तर–पूरब दिशा में लगभग 350 मीटर की दूरी पर बन्धवा–ठकुराईन पुरवा की आवादी स्थित है। दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम– कोदैया बगिया स्थित है।

	से अधिक चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।	
2(दो)	कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र के मामले में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे।	ईट भट्ठे के पूरब दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पम्प स्थित है। उत्तर-पूरब दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक्सीलेण्ट पब्लिक एच0एस0 स्कूल स्थित है, उत्तर दिशा में लगभग 225 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, बन्धवा तथा दक्षिण दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर किसान इण्टर कॉलेज स्थित है।
2(तीन)	कोई ईट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।	ईट भट्ठे से 200 मीटर के भीतर कोई रेलवे ट्रैक स्थित नहीं है।
2(चार)	कोई ईट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।	ईट भट्ठे से 300 मीटर के भीतर कोई राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग स्थित नहीं है।
2(पांच)	कोई ईट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़को के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।	ईट भट्ठे के पूरब दिशा में लगभग 260 मीटर की दूरी पर वजीरगंज- झिलाही मार्ग एवं पश्चिम दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर रौजा- टिकरी मार्ग स्थित है।
2(छः)	कोई ईट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।	ईट भट्ठे के पश्चिम दिशा में लगभग 650 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्ठा स्थापित है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्ठा स्थापित है।
2(सात)	किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के बफर जोन में कोई भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा की उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद यदि कोई में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो। आम के बगीचे/मिश्रित फलों(आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हो) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईट भट्ठा से दूरियां प्रत्येक दशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।	ईट भट्ठे से लगभग 800 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी दिशा में आम के बगीचे/मिश्रित फलों के बगीचे स्थित नहीं है।

उपरोक्त सारणी में ईट भट्ठा स्थल की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में उल्लिखित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त ईट भट्ठा स्थल पर्यावरण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अधिसूचना संख्या- 921/55-पर्या/12-94(पर्या)-11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है, परन्तु कार्यालय अभिलेखानसुार प्रश्नगत ईट भट्ठा मेसर्स सी0एच0 ईट भट्ठा, ग्राम- बंधवा, वजीरगंज, तहसील- तरबगंज, जनपद- गोण्डा तत्समय लागू जिला पंचायत की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित किया गया था।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

12/7/24
(विनोद कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

12.07.24
(अजय सिंह)
प्रयोगशाला सहायक

12.7.2024

12/7/2024

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

D:\Santosh Sir AEE\Letter\Without Letter Pad 2013